संख्या-925/2023/आई/398400/23-1-23/002-23-1002(002)/171/2023

प्रेषक,

राज कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 29 सितम्बर, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से प्रयागराज मण्डल के विभिन्न जनपदों के 17 मार्गों के स्वीकृत एवं चालू कार्य हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-6238/CE-HQ-1/RSN5054/PRJ/2023-24, दिनांक 25.09.2023 एवं पत्र संख्या-6311/CE-HQ-1/RSN 5054/ PRJ/2023-24, दिनांक 26.09.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार प्रयागराज मण्डल के विभिन्न जनपदों के 17 मार्गों **के स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 22,46,69,000/- (रूपये बाईस करोड़ छियालीस लाख उनहत्तर हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रा.ख. प्रतापगढ़	अन्तू प्रतापगढ़ मार्ग कलयाणपुर से पारा हमीदपुर रेलवे फाटक तक सम्पर्क मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य	40/2021/1937 रासनि/ 23-1-21-68 रासनि/ 20 टीसी- दिनांक- 07-01-2022	67.93 67.93 47.34 4.57 63.36	55.85	7.51	7.51
2	नि.ख. कौशाम्बी	मिनहाजपुर से कबीर अनाथ आश्रम तक सम्पर्क मार्ग।	51/2021/170 रासनि/ 23-1-21-63 रासनि/ 20- दिनांक- 09-02-2021	19.40 19.40 11.79 3.47 15.93	14.90	1.03	1.03
3	प्रा.ख. कौशाम्बी	दौलतपुर कसार पक्की सड़क से ईदगाह होते हुये राम अधीन विद्यालय तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य (छूटी कड़ी)	350/2021/1576 रासनि/ 23-1-21-118 रासनि/ 18- दिनांक- 16-12-2021	38.74 38.74 29.78 0.10 38.64	33.01	5.63	0.63
4	प्रा.ख. कौशाम्बी	कड़ा अलीपुर जीता मार्ग से निजाममई कन्थुआ औरैनी	50/2022/1917 रासनि/ 23-1-21-84	1227.25 1227.25 744.88	534.17	445.86	332.68

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		होते हुए सिराथू मानिकपुर मार्ग (अ0जि0मा0) का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य।	रासनि/ 20 टीसी- दिनांक- 07-01-2022	247.22 980.03			
5	नि.ख.- 4 कु.मे. प्रयागराज	शेखफातिमा (कुर्मियान) सम्पर्क मार्ग।	55 /2021 /206 रासनि / 23-1-21-58 रासनि/ 20- दिनांक- 18-02-2021	85.04 85.04 53.50 14.43 70.61	59.52	11.09	11.09
6	नि.ख.- 4 कु.मे. प्रयागराज	लोकापुर अहिरान बस्ती बिसानी उर्फ सिकोहा सम्पर्क मार्ग।	172/2021/386 रासनि/ 23-1-21-104 रासनि/ 20 टी 0 सी 0 3- दिनांक- 11-08-2021	110.82 110.82 63.66 25.96 84.86	76.86	8.00	8.00
7	नि.ख.- 4 कु.मे. प्रयागराज	श्शहीद जितेन्द्र कुमार मौर्य के घर तक सम्पर्क मार्ग।	287/2021/1166 रासनि/ 23-1-21-13 रासनि/ 21- दिनांक- 18-11-2021	17.91 17.91 8.64 4.16 13.75	8.38	5.37	5.37
8	नि.ख.- 4 कु.मे. प्रयागराज	नूरपुर पदुमपुर कलन्दरपुर सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग का निर्माण कार्य।	349/2021/1578 रासनि/ 23-1-21-46 रासनि/ 20 टी 0 सी 0 - दिनांक- 16-12-2021	37.91 37.91 22.81 7.15 30.76	20.52	10.24	10.24
9	नि.ख.- 4 कु.मे. प्रयागराज	सरायगनी ईदगाह नहर पटरी से धमौर (सुखई का पूरा) तक सम्पर्क मार्ग।	04/2022/1853 रासनि/ 23-1-21-14 रासनि/ 21 टीसी- दिनांक- 01-01-2022	58.29 58.29 46.04 0.58 57.71	12.26	45.45	45.45
10	नि.ख.- 4 कु.मे. प्रयागराज	बड़ौरा गौतमान बस्ती के शेष भाग का निर्माण कार्य	04/2022/1853 रासनि/ 23-1-21-14 रासनि/ 21 टीसी- दिनांक- 01-01-2022	49.22 49.22 29.56 9.39 39.83	10.84	28.99	28.99
11	नि.ख.- 4 कु.मे. प्रयागराज	नवाबगंज से शास्त्री नगर सम्पर्क मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	225 /2023/101 रासनि / 23-1-23/001-12 आरएसएन/ 2022 टीसी दि 23.02.2023- दिनांक- 23-02-2023	2100.18 2100.18 1124.41 464.35 1635.83	630.04	1005.79	804.63
12	प्रा.ख. प्रयागराज	कोरांव देवघाट ड्रमण्डगंज मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (चौनेज 0.000 से 16.000 तक)	604 रासनि / 23-1-18-58 रासनि / 18 टीसी दिनांक 02.01.2019- दिनांक- 01-01-1970	1955.41 1955.41 1483.36 16.64 1938.77	1745.16	193.61	154.88
13	प्रा.ख. प्रयागराज	अरई मार्ग के अवशेष भाग सम्पर्क मार्ग।	95/2021/475 रासनि/ 23-1-21-80 रासनि/ 20- दिनांक- 17-03-2021	31.50 31.50 18.12 2.00 29.50	22.90	6.60	6.60
14	प्रा.ख. प्रयागराज	महुली कला से ताला का पुरा (लाल का पुरा) होते हुए धैकार बस्ती सम्पर्क मार्ग	331/2021/1464 रासनि/ 23-1-21-68 रासनि/ 20- दिनांक- 07-12-2021	172.56 172.56 98.74 20.00 152.56	74.51	78.05	62.44
15	प्रा.ख. प्रयागराज	सिलौंधी लक्ष्मीनिया पुलिया से नया तालाब होते हुये	01/2022/1857 रासनि/ 23-1-21-	150.11 150.11 98.36	118.49	20.03	20.03

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		सिलौंधी कला धैकरान बस्ती सम्पर्क मार्ग।	118 रासनि/ 18- दिनांक- 01-01-2022	11.59 138.52			
16	प्रा.ख. प्रयागराज	बेन्दो से भिटरिया मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	194 /2023/1475 रासनि / 23-1-22/001-12 आरएसएन/ 2023 दि 08.02.2023- दिनांक- 08-02-2023	1902.27 1902.27 1000.85 344.64 1557.63	861.74	695.89	556.71
17	प्रा.ख. फतेहपुर	सिरसी से अचिन्तपुर पिटाई (बघेला) सम्पर्क मार्ग।	40/2021/1937 रासनि/ 23-1-21-68 रासनि/ 20 टीसी- दिनांक- 07-01-2022	217.50 217.50 128.84 5.34 212.16	21.75	190.41	190.41
						कुल योग-	2246.69

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/ विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **कुल रू0 22,46,69,000/- (रूपये बाईस करोड़ छियालीस लाख उनहत्तर हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राज कुमार
उप सचिव।

संख्या-925/2023/आई/398400(1)/23-1-23/002-23-1002(002)/ 171/2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राज कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in